भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3951
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 को दिया जाना है

भूतपूर्व न्यायधीशों पर भारत विरोधी गिरोह में शामिल होने के आरोप

3951 श्री जावेद अली खान :
श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री के अनुसार उच्चतम न्यायालय के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत-विरोधी गिरोह का हिस्सा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सूचना का स्त्रोत क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश और गृह मंत्रालय को सूचित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तरसंबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी नहीं । तथापि, समय समय पर न्याय विभाग में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । न्याय विभाग केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है । उच्चतर न्यायपालिका में जवाबदेही "आंतरिक तंत्र क्रियाविधि" के माध्यम से बनाए रखी जाती है । भारत के उच्चतम न्यायालय में 7 मई, 1997 को अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने दो संकल्प अंगीकृत किए अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन", जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन और अनुसरण किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानदंडों और सिद्धांतों को अधिकथित करता है । (ii) उन न्यायाधीशों के विरुद्ध समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए "आंतरिक तंत्र प्रक्रिया" जो न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत वे मूल्य भी हैं जो न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन में सम्मिलित हैं ।

उच्चतर न्यायपालिका के लिए स्थापित "आंतरिक तंत्र क्रियाविधि" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य

न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । न्याय विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतें/अभिवेदन समुचित कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को अग्रेषित किए जाते हैं । उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संबंधित शिकायतें विभाग द्वारा निपटारा नहीं की जाती हैं ।

****